सामान्य अध्ययन

आंतरिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था

CSE पाठ्यक्रम के अनुरूप

Powered by

Sanskriti IAS

संस्कृति IAS

आंतरिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था (गवर्नेन्स)

विषय-सूची

इकाई	टॉपिक	पृष्ठ संख्या
	आंतरिक सुरक्षा	
1	आंतरिक सुरक्षा	5-7
2	विकास एवं उग्रवाद के बीच संबंध	8-9
3	वामपंथी उग्रवाद/नक्सलवाद	10-16
4	उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद	17-32
5	सांप्रदायिकता एवं मॉब लिंचिंग	33-39
6	सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन	40-48
7	संगठित अपराध एवं आतंकवाद	49-63
8	मनी लॉन्ड्रिंग/धन शोधन	64-67
9	साइबर सुरक्षा	68-76
10	क्षेत्रवाद	77-79
11	विभिन्न सुरक्षा बल, एजेंसियाँ तथा उनके अधिदेश	80-86

शासन व्यवस्था (गवर्नेन्स)

1	शासन व्यवस्था	89-90
2	सुशासन या अच्छा शासन	91-95
3	लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका	96-105
4	पारदर्शिता एवं जवाबदेही	106-112
5	ई-गवर्नेन्स	113-118
6	नागरिक चार्टर	119-121
7	सामाजिक अंकेक्षण	122-124
8	गैर-सरकारी संगठन	125-128
9	स्वयं सहायता समूह	129-134
10	नागरिक समाज	135-140
11	सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ	141-142
12	सोसाइटी, न्यास तथा लोकोपकारी संस्था	143-145
13	विकास सहायता एवं निजी वित्तपोषण	146-148

आंतरिक सुरक्षा

इकाई 01 — आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'आंतरिक सुरक्षा तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख अवयव
- आंतरिक सुरक्षा की समस्या के लिए ज़िम्मेदार कारक
  - सरकार की नीतियों की विफलता
  - सामाजिक और जातिगत भेदभाव तथा सांप्रदायिकता
  - भौगोलिक कारक
- आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य चुनौतियाँ
- आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत

परिचय (Introduction)

- आंतरिक सुरक्षा राज्य की सीमाओं के अंदर शांति, सुरक्षा, संप्रभुता एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया है। यह बाह्य सुरक्षा से भिन्न अवधारणा है। जहाँ आंतरिक सुरक्षा की प्राथमिक ज़िम्मेदारी पुलिस की होती है वहीं, किसी विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना सेना की ज़िम्मेदारी है। भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का है और बाह्य सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय उत्तरदायी है।
- भारत में आंतरिक सुरक्षा की अवधारणा कोई नवीन अवधारणा नहीं है बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय राज्यों में देखी जा सकती हैं। कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में राज्य की सुरक्षा के महत्त्व को रेखांकित करते हुए चार प्रकार की चुनौतियों का उल्लेख किया है।
- पिछले कुछ दशकों से देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरों का रूप अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके लिए सूचना-संचार क्रांति तथा वैश्वीकरण प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं।

आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख अवयव (Main Elements of Internal Security)

- देश की सीमाओं की सुरक्षा एवं आंतरिक संप्रभुता का संरक्षण।
- भारत की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखना।
- विधि का शासन बनाए रखना।
- देश में शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना।
- देश में भाईचारे की भावना एवं सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना।
- भयमुक्त वातावरण का विकास करना।
- नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।

आंतरिक सुरक्षा की समस्या के लिए ज़िम्मेदार कारक (Factors Responsible for the Problem of Internal Security)

सरकार की नीतियों की विफलता (Failure of Government's Policies)

सरकार की नीतियों में निहित कमियों और उनको लागू करने में विफलता के कारण देश में गरीबी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और संसाधनों के असमान वितरण की समस्या उत्पन्न होती है। परिणामस्वरूप, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे बढ़ जाते हैं।

- **गरीबी (Poverty) :** प्राय: गरीबी और कानून व्यवस्था की समस्या के बीच कारण एवं परिणाम का संबंध पाया जाता है। अनेक अध्ययनों से यह पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में गिरावट, प्रतिव्यक्ति कम सकल घरेलू उत्पाद, आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुँच न होना और देश की धीमी आर्थिक वृद्धि आदि ऐसे कारक हैं जो नागरिकों में असंतोष पैदा करते हैं।
- **बेरोज़गारी (Unemployment) :** बेरोज़गारी की स्थिति में देश में मौजूद कार्यबल की ऊर्जा का सदुपयोग नहीं हो पाता है। इससे एक तरफ जहाँ देश की उत्पादन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वहीं, युवा जनसंख्या में हताशा और निराशा की भावना पैदा होती है। जब इनकी आकांक्षाएँ पूरी नहीं होती हैं तो सरकारी तंत्र के प्रति इनका विश्वास कमजोर हो जाता है। ऐसे में बेरोज़गार जनसंख्या के असामाजिक एवं विघटनकारी गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
- **संसाधनों का असमान वितरण (Unequal Distribution of Resources) :** देश के संसाधनों का वितरण सार्वजनिक हित के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। लेकिन जब इन संसाधनों का उचित आवंटन नहीं होता और इन पर एक सीमित जनसंख्या का नियंत्रण होता है तो वंचित जनसंख्या में असंतोष एवं सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है। मध्य भारत के खनिज समृद्ध क्षेत्रों में यह असंतोष स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में विकसित वामपंथी उग्रवाद यहाँ की स्थानीय जनसंख्या में असंतोष एवं अविश्वास की भावना का ही परिणाम है।
- **भ्रष्टाचार (Corruption) :** भ्रष्टाचार को भी देश की शांति और सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरा माना जाता है। भ्रष्टाचार का स्तर जब अपने चरम पर होता है तो यह देश के हितों एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए हथियारों की खरीद से लेकर सुरक्षा नीतियों के निर्माण पर भी निजी हित हावी हो जाते हैं। संस्थानों में भ्रष्टाचार के कारण सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं की निष्पक्ष आपूर्ति प्रभावित होती है। यह स्थिति जन सामान्य में असंतोष की भावना का विकास करती है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 02 विकास एवं उग्रवाद के बीच संबंध
(The Relationship between Development and Extremism)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'विकास एवं उग्रवाद के बीच संबंध तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- विकास के प्रमुख आयाम
- विकास का निम्न स्तर एवं उग्रवाद
  - जल-जंगल और ज़मीन का मुद्दा
  - आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे
  - राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
  - आधारभूत अवसंरचनाओं का अभाव
- समस्या समाधान के उपाय/संवैधानिक, कानूनी और नीतिगत प्रयास
- कुछ सामान्य सुझाव

परिचय (Introduction)

यदि किसी देश में एक बड़ी जनसंख्या को उसकी आधारभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती है, तो वह देश अशांति एवं सुरक्षा के लिए खतरों की संभावनाओं को समाप्त नहीं कर सकता है। विकास प्रक्रिया में पीछे छूट गए लोगों में निराशा और असंतोष का भाव अपने चरम स्तर पर पहुँचकर सरकारी तंत्र के प्रति अविश्वास और विरोध के रूप में प्रकट होता है। भारत में इसे उग्रवाद के रूप में देखा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में समावेशी विकास की अवधारणा पर बल देना आवश्यक हो जाता है। समावेशी विकास और मज़बूत सुरक्षा तंत्र दोनों मिलकर देश में स्थायी शांति की नींव रखते हैं।

विकास के प्रमुख आयाम (Main Dimensions of Development)

- **सामाजिक विकास** (Social Development)**:** इसके अंतर्गत लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं।
- **आर्थिक विकास** (Economic Development)**:** सभी को रोज़गार के अवसर, आर्थिक समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन आदि इसके प्रमुख पक्ष हैं।
- **राजनीतिक विकास** (Political Development)**:** लोकतंत्र, राजनीतिक समानता एवं राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रता आदि।
- **मानव विकास** (Human Development)**:** शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार एवं स्वतंत्रता की रक्षा आदि।
- **आधारभूत ढाँचे का विकास** (Development of Basic Infrastructure)**:** यातायात, दूरसंचार, बिजली आदि।

विकास का निम्न स्तर एवं उग्रवाद (Low Level of Development and Extremism)

जल-जंगल और ज़मीन का मुद्दा (The Issue of Water-Forest and Land)

- आर्थिक विकास के क्रम में पीढ़ियों से चले आ रहे वन एवं वनवासी संबंधों को तो विकृत कर दिया गया, लेकिन वनवासियों को विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। इनके पारंपरिक वन एवं भूमि अधिकारों का हनन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, इन्हें विस्थापन का सामना करना पड़ा।
- इन क्षेत्रों में अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित खनन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। किंतु यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका लाभ देने की बजाय इन्हें अनेक नई कठिनाइयों में धकेल दिया गया। ऐसे में इन लोगों में सरकारी तंत्र के प्रति अविश्वास को बल मिला और इन्होंने प्रतिरोध का रास्ता चुना।

आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे (Economic and Social Issues)

- किसी भी देश में गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति न होना, सामाजिक असमानता, मानवाधिकारों का हनन आदि ऐसे कारक हैं जो उसे अस्थिर करते हैं। भारत में उग्रवाद के विकास के पीछे ये सभी कारण ज़िम्मेदार रहे हैं। बेरोज़गारी और निराशा युवा जनसंख्या को उग्रवाद के रास्ते पर धकेल देती है।
- इसी तरह सामाजिक-सांस्कृतिक भेदभाव और उपेक्षा के शिकार रहे वर्गों में व्यवस्था के प्रति विरोध का भाव पैदा होता है। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर कुछ लोग समूह हित के नाम पर उन्हें उग्रवाद की धारा में शामिल कर लेते हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 03

वामपंथी उग्रवाद/नक्सलवाद (Left wing Extremism/Naxalism)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'वामपंथी उग्रवाद/नक्सलवाद तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- वामपंथी उग्रवाद के उदय के सामान्य कारण
- शहरी नक्सलवाद
- भारत में नक्सलवाद के विकास के कारण
- नक्सलियों की रणनीति और कार्य प्रणाली
- भारत में वामपंथी उग्रवाद/नक्सलवाद का विकास
- नक्सलवाद और लाल गलियारा
- हालिया बड़ी नक्सली घटनाएँ
- भारत में नक्सल समस्या की वर्तमान स्थिति
- नक्सलवाद से निपटने के लिए राज्यों द्वारा किए गए प्रयास
- नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास
- नक्सलवाद से निपटने के लिए 'समाधान' रणनीति
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार के हालिया प्रयास
- नक्सल समस्या से निपटने में चुनौतियाँ
- वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु कुछ सुझाव

परिचय (Introduction)

- ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अपने अधिकारों या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं में विश्वास न करके हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हैं, उग्रवादी कहलाते हैं। उग्रवादियों की कार्यप्रणाली और रणनीति के पीछे जिस विचारधारा का हाथ है उसे उग्रवाद या नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा वर्ग-संघर्ष पर आधारित है। नक्सली हिंसक गतिविधियों के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने और अपनी विचारधारा का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
- भारत में 'नक्सलवाद' की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के 'नक्सलबाड़ी' नामक गाँव से हुई है। यहाँ वर्ष 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल की अगुवाई में एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से ही नक्सली गुट समय-समय पर अनेक प्रकार के हमलों के माध्यम से देश में हिंसा और अशांति फैलाने का प्रयास करते रहे हैं।
- भारत में नक्सलवाद 'माओवादी विचारधारा' पर आधारित है। इसका अंतिम उद्देश्य संघर्ष के माध्यम से मौजूदा सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था को हटाकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसे नक्सलियों ने 'जनता की सरकार' का नाम दिया है।
- सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक असमानता और शोषण को इस आंदोलन के उदय होने का मुख्य कारण माना जाता है। साथ ही, गरीबी, बेरोज़गारी तथा असंतुलित विकास ने इस आंदोलन को बल प्रदान किया है।

वामपंथी उग्रवाद के उदय के सामान्य कारण (Common Reasons for the Rise of Left Wing Extremism)

- **भौगोलिक कारण (Geographical Reason):** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित अधिकांश क्षेत्र भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करना और वहाँ मूलभूत सुविधाओं का विकास करना कठिन हो जाता है। इसलिए, ये क्षेत्र राज्य विरोधी गतिविधियों के संचालन का केंद्र बन जाते हैं।
- **सामाजिक कारण (Social Reason):** समाज में व्याप्त अनेक प्रकार का भेदभाव और विषमता वर्ग-संघर्ष को जन्म देती है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, व्यक्ति की गरिमा का हनन, समाज की मुख्यधारा से अलगाव आदि ऐसे कारण हैं जो लोगों में मौजूदा व्यवस्था के प्रति प्रतिरोध पैदा करते हैं। प्रतिरोध की यह भावना वामपंथी उग्रवाद के लिए एक बड़ा मानसिक आधार प्रदान करती है।
- **आर्थिक कारण (Economic Reason):** गरीबी, बेरोज़गारी, भूमि सुधार कानूनों का दुरुपयोग, सरकारी और सामुदायिक ज़मीनों को हड़पना, बिना उचित मुआवज़ा और पुनर्वास व्यवस्था के भूमि अधिग्रहण करना आदि कारण स्थानीय लोगों में विरोध और हिंसा की भावना को बल प्रदान करते हैं।
- **सुशासन का अभाव (Lack of Good Governance):** सुशासन की कमी वामपंथी उग्रवाद के उदय के लिए ज़िम्मेदार कारणों में से एक है। इसके अंतर्गत सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन न हो पाना, कानून निर्माण में स्थानीय लोगों की भागीदारी न होना आदि कारक शामिल हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 04

उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद
(Extremism in North-East States)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- उत्तर-पूर्व में उग्रवाद के लिए ज़िम्मेदार कारक
- संघर्षों का वर्गीकरण
- उत्तर-पूर्व में नए राज्यों का गठन
- असम में उग्रवाद
- बोडोलैंड मामला
- अरुणाचल प्रदेश में उग्रवाद
- नागालैंड में उग्रवाद
- मणिपुर में उग्रवाद
- मेघालय में उग्रवाद
- मिज़ोरम में उग्रवाद
- त्रिपुरा में उग्रवाद
- उत्तर-पूर्व की समस्या में विदेशी राज्यों की भूमिका
- बहुआयामी सुरक्षा उपाय
- इनर लाइन परमिट का मुद्दा
- सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 : अफस्पा
- असम-मिज़ोरम सीमा विवाद

परिचय (Introduction)

- उत्तर-पूर्वी भारत में कुल आठ राज्य शामिल हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर के बाद भारत का दूसरा सर्वाधिक अशांति और अस्थिरता प्रभावित क्षेत्र रहा है।
- इस क्षेत्र की सीमाएँ नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और भूटान के साथ लगती हैं।

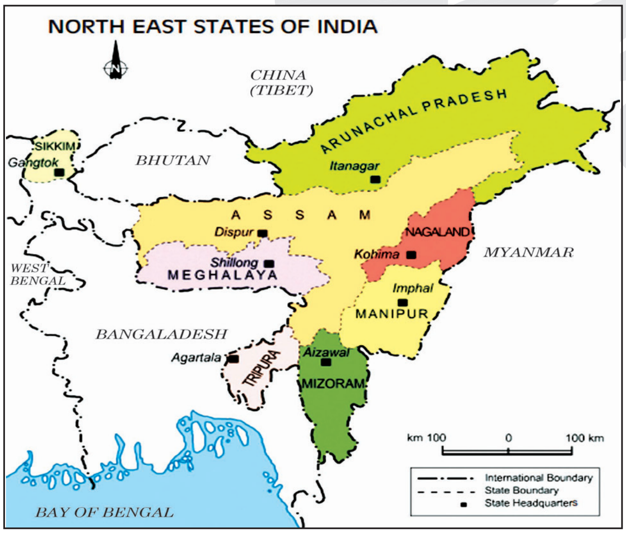

- यहाँ की अधिकांश जनसंख्या असम में निवास करती है तथा असम को छोड़कर लगभग समूचा भू-भाग पहाड़ी है। उत्तर-पूर्वी भारत की भौगोलिक स्थिति शेष भारत से कटी हुई प्रतीत होती है। यह भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित सँकरे गलियारे (चिकन नेक) के ज़रिए शेष भारत से जुड़ता है।
- उत्तर-पूर्व भारत ऐतिहासिक रूप से अनेक भाषाओं और संस्कृतियों से संपन्न क्षेत्र रहा है। साथ ही, यहाँ 100 से भी अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ की 80% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
- आधी सदी से भी अधिक समय से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र उग्रवाद और हिंसक संघर्षों का शिकार बना हुआ है। यहाँ के उग्रवादी आंदोलनों के ज़रिए राजनीतिक स्वायत्तता से लेकर पूर्ण स्वतंत्रता तक की मांग होती रही है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

स्वतंत्रता के पूर्व (Before Independence)

- स्वतंत्रता के पहले उत्तर-पूर्व के आदिवासी क्षेत्रों का शेष भारत के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक आदि मामलों में संबंध न के बराबर था। यही कारण है कि यह क्षेत्र भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लगभग दूर ही रहा। परिणामस्वरूप, यहाँ के लोगों में शेष भारत का हिस्सा होने की भावना का पर्याप्त विकास नहीं हुआ।
- अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया था और इस क्षेत्र के सामाजिक-राजनीतिक ढाँचे में हस्तक्षेप करने से दूर ही रहे। हालाँकि, यहाँ ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के कारण सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन भी देखा गया। स्थानीय जनजातीय लोगों के शेष भारत से अलगाव का यह भी एक कारण रहा है।

स्वतंत्रता के बाद (After Independence)

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उत्तर-पूर्व एवं शेष भारत के बीच की सामाजिक-राजनीतिक दूरी को कम करने और संबंधों को मज़बूत करने पर बल दिया।
- इस क्रम में सरकार ने संविधान की छठी अनुसूची के माध्यम से इस क्षेत्र को स्व-शासन एवं स्वायत्तता प्रदान किया और न्यूनतम हस्तक्षेप की रणनीति अपनाई।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 05

सांप्रदायिकता एवं मॉब लिंचिंग (Communalism and Mob Lynching)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'सांप्रदायिकता एवं मॉब लिंचिंग तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

सांप्रदायिकता
- परिचय
- सांप्रदायिकता के मुख्य लक्षण
- सांप्रदायिकता के रूप
- सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य कारक
- भारत में सांप्रदायिक हिंसा की प्रमुख घटनाएँ
- सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के उपाय
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

मॉब लिंचिंग
- परिचय
- मॉब लिंचिंग के लिए ज़िम्मेदार कारक
- भारत में मॉब लिंचिंग के हालिया मामले
- भारत में भीड़ हिंसा का प्रभाव
- मॉब लिंचिंग पर एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता
- भीड़ हिंसा और लिंचिंग की रोकथाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

सांप्रदायिकता (Communalism)

परिचय (Introduction)

- सांप्रदायिकता की समस्या मुख्यत: बहु-धार्मिक समाज से जुड़ी है। चूँकि, भारत भी ऐतिहासिक रूप से अनेक धर्मों या पंथों का देश रहा है, इसलिए यह सांप्रदायिकता की समस्या के प्रति सुभेद्द रहा है। समय-समय पर भारतीय समाज में सांप्रदायिकता का उभार देखा गया है। भारत ने कई बार सांप्रदायिक दंगों का सामना किया है।
- एक व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करना सांप्रदायिकता नहीं है। किंतु, जब वह अन्य धर्मों के प्रति हीन और विरोध की भावना प्रकट करता है तो उसे सांप्रदायिक कहा जा सकता है।
- स्मिथ के अनुसार, एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो अपनी धार्मिक भाषा या भाषाई समूह को एक अलग राजनीतिक और सामाजिक इकाई के रूप में देखता है तथा स्वयं के हितों को अन्य समूहों के हितों से भिन्न मानता है।
- सांप्रदायिकता को मुख्यत: राजनीति से प्रेरित विचारधारा माना जाता है। राजनीतिक दल या धार्मिक संगठन अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म और राजनीति का घाल-मेल करते हैं। इसका उद्देश्य समाज का धर्म के आधार पर विभाजन करके अधिक-से-अधिक लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करना होता है। इस प्रक्रिया में यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि अलग-अलग धर्म के लोगों के हित भिन्न और विरोधी प्रकृति के हैं। इसमें एक धार्मिक समूह को दूसरे धार्मिक समूह के विरोध में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है।
- सांप्रदायिकता अपने चरम स्तर पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार, धार्मिक हिंसा तथा दंगों के रूप में प्रकट होती है।

सांप्रदायिकता के मुख्य लक्षण (Main Characteristics of Communalism)

- सांप्रदायिकता की समस्या धार्मिक समूहों से संबंधित है।
- सांप्रदायिकता के लिए राजनीति स्वार्थ मुख्य ज़िम्मेदार कारक है।
- इसमें अपने और पराए की भावना पाई जाती है।
- यह समाज में अविश्वास और बिखराव पैदा करती है।
- यह समाज के अल्पसंख्यक वर्ग में भय पैदा करती है।
- इसमें क्रिया-प्रतिक्रिया की भावना होती है, जो भविष्य में सांप्रदायिक संघर्षों को भड़काने में मदद करती है।
- अधिकांश सांप्रदायिक दंगे धार्मिक आयोजनों या त्योहारों के अवसर पर सामने आते हैं।

सांप्रदायिकता के रूप (Forms of Communalism)

- **धार्मिक (Religious):** भारत बहुधर्मी देश होने के कारण धार्मिक हिंसा के प्रति सुभेद्य है। धार्मिक सांप्रदायिकता और संबंधित हिंसा भारत की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत में धार्मिक सांप्रदायिकता मुख्यत: हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथियों के मध्य देखी जाती है। भारत ने कई बार धार्मिक हिंसा और दंगों का सामना किया है।
- **भाषाई (Linguistic):** भारत में अनेक भाषाई समूहों की उपस्थिति है। भाषाई सांप्रदायिक हिंसा सामान्यत: पूरे भारत में छिटपुट रूप से देखी जाती है। 1950 के दशक में देश के कुछ हिस्सों में हिंसक भाषाई दंगे हुए थे।
- **नृजातीय (Ethnic):** नृजातीयता आधारित सांप्रदायिक हिंसा आमतौर पर विभिन्न जनजातीय या सांस्कृतिक समूहों के बीच संघर्ष के रूप में सामने आती है। इस प्रकार की हिंसा मुख्यत:

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 06

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन (Security Challenges and their Management in Border Areas)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ
- सीमा प्रबंधन में बाधाएँ
- कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट
- मंत्रियों के समूह की सिफारिशें
- सीमा प्रबंधन
- सीमा प्रबंधन रणनीति
- भारत-बांग्लादेश सीमा
- भारत-पाकिस्तान सीमा
- भारत-म्याँमार सीमा
- भारत-चीन सीमा
- भारत-नेपाल सीमा
- भारत-भूटान सीमा
- व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए सुझाव
- तटीय सुरक्षा
- तटीय सुरक्षा के लिए खतरे
- समुद्री और तटीय सुरक्षा व्यवस्था
- तटीय सुरक्षा रणनीति में विद्यमान कमियाँ
- तटीय सुरक्षा योजना
- तटीय सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास

परिचय (Introduction)

- किसी देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। सीमाओं को सामान्यत: थल सीमा और स्थल सीमा के रूप में देखा जाता है।
- भारत एक विस्तृत क्षेत्रफल वाला देश है और इसकी लंबी स्थलीय और तटीय सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित समुद्री तटरेखा की लंबाई 7516.6 किमी. है। लंबाई अधिक होने के कारण भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई इस प्रकार है :

देशों के नाम (Name of the Countries)	सीमा की लंबाई (किमी. में) Length of the Border (in km.)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488.0
पाकिस्तान	3,323.0
नेपाल	1,751.0
म्याँमार	1,643.0
भूटान	699.0
अफगानिस्तान	106.0
कुल	**15,106.7**

- भारतीय उपमहाद्वीप में सीमाओं के निर्धारण और पुनर्निर्धारण का लंबा इतिहास रहा है। सीमाओं को लेकर पड़ोसी देशों के बीच अक्सर विवाद और संघर्ष होता रहता है।
- भारत की सीमाएँ रेगिस्तान, दलदल, जंगल, पहाड़, बर्फीले क्षेत्र, नदियाँ आदि विषम क्षेत्रों से होकर गुज़रती हैं। इसलिए, सीमाओं की सुरक्षा करना और जटिल कार्य हो जाता है। किंतु, इन क्षेत्रों में सीमाओं की निगरानी करना अत्यंत आवश्यक भी है क्योंकि यहाँ से ही अधिकांश अवैध घुसपैठ और व्यापारिक एवं आपराधिक गतिविधियों का संचालन होता है।

सीमा सुरक्षा चुनौतियाँ (Border Security Challenges)

नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी (Smuggling of Drugs and Weapons)

- सीमा पार से होने वाले मादक पदार्थों और हथियारों का अवैध व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी का आतंकवाद से भी संबंध है। मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से अर्जित धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार, तस्करों और आतंकवादियों का गठजोड़' आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करता है।
- तस्करों और आतंकवादियों द्वारा अपने कार्यों के संचालन के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली जाती है। ऐसे में देश के भीतर अपराधियों का नेटवर्क तैयार हो जाता है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 07 संगठित अपराध एवं आतंकवाद (Organized Crime and Terrorism)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'संगठित अपराध एवं आतंकवाद तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

संगठित अपराध
- परिचय
- संगठित अपराध की मुख्य विशेषताएँ
- संगठित अपराध के विभिन्न रूप
- संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध
- संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच अंतर
- संगठित अपराध से निपटने में चुनौतियाँ
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
- संगठित अपराध का सामना करने के लिए कुछ सामान्य सुझाव

आतंकवाद
- परिचय
- आतंकवाद के कारण
- आतंकवाद के प्रकार
- आतंकवाद के साधन या उपकरण
- आतंकवाद के वित्तीय स्रोत
- आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध उपाय
- बाह्य-राज्य समर्थित आतंकवाद
- बाह्य-राज्य अभिकर्ता के रूप में आई.एस.आई. का उद्देश्य
- गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा आतंकवाद
- भारत में आतंकवाद
- भारत में सक्रिय प्रमुख आतंकवादी संगठन
- आतंकवाद के विस्तार के कारण
- आतंकवाद के उभरते खतरे
- आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीति
- आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी ढाँचा
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें
- आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- भारत की आतंकवाद निरोधी तैयारियों के मुख्य पहलू
- कुछ सामान्य सुझाव

संगठित अपराध (Organized Crime)

परिचय (Introduction)

- संगठित अपराध को किसी देश की आंतरिक सुरक्षा और उसके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के स्थायित्व के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। अपने चरम स्तर पर पहुँचकर यह एक समानांतर तंत्र का रूप धारण कर लेता है। आतंकवाद के साथ इसके गहरे संबंध विकसित होने के बाद इसने भारत सहित पूरी दुनिया के समक्ष बड़ी चुनौती पेश की है।
- महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के अनुसार- किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से किसी अनुचित आर्थिक लाभ या अन्य लाभ के लिए हिंसा, धमकी, ज़बरदस्ती या अन्य गैर-कानूनी साधन का उपयोग करना संगठित अपराध है।
- 'अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' ने यद्यपि 'संगठित अपराध' की सटीक परिभाषा नहीं दी है, परंतु 'संगठित आपराधिक समूहों' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इसके अनुसार, संगठित आपराधिक समूह वह है–
  - जिसमें तीन या अधिक व्यक्तियों की भागीदारी हो और उसे सुनियोजित ढंग से गठित किया गया हो।
  - जो कुछ समय पूर्व से विद्यमान हो।
  - किसी ऐसे अपराध में शामिल हो जिसमें न्यूनतम 4 वर्ष की सज़ा का प्रावधान हो।
  - जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य रखता हो।

संगठित अपराध की मुख्य विशेषताएँ (Main Characteristics of Organized Crime)

- **नियोजित ढाँचा (Planned Framework) :** संगठित आपराधिक समूहों का एक नियोजित ढाँचा होता है। संगठन में एक निश्चित पदानुक्रम देखा जाता है। इसके साथ ही, इन संगठनों का अपना एक परिभाषित उद्देश्य और रणनीति होती है। इनके सदस्यों के बीच गहरे संबंध होते हैं।
- **संगठन की निरंतरता (Continuity of Organization) :** संगठित आपराधिक समूहों की सक्रियता काफी लंबे समय तक देखी जाती है। इसमें नए सदस्यों का प्रवेश होता रहता है और पुराने सदस्य बाहर भी जाते हैं। इसके बावजूद संगठन अपनी रणनीति के तहत कार्य करता रहता है।
- **आपराधिक और हिंसक प्रकृति (Criminal and Violent Nature) :** हिंसा और अपराध इनकी अनिवार्य विशेषता है। इन संगठनों की आय का मुख्य स्रोत हिंसा और अपराध ही हैं। ये व्यक्ति और संपत्ति दोनों को निशाना बनाते हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 08 — मनी लॉन्ड्रिंग/धन शोधन (Money Laundering)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'मनी लॉन्ड्रिंग/धन शोधन तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के चरण
- मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न रूप/माध्यम
- मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव
- मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में चुनौतियाँ
- मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उपाय
- मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास
- सदस्य देशों के लिए एफ.ए.टी.एफ. की सिफारिशें/निर्देश
- मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए कुछ सामान्य उपाय

परिचय (Introduction)

- इंटरपोल के अनुसार, गैर-कानूनी ढंग से प्राप्त की गई आय को इस प्रकार छिपाने या छिपाने का प्रयास करना, जिससे वह वैध स्रोतों से प्राप्त आय की तरह प्रतीत हो, 'मनी लॉन्ड्रिंग' है।
- इसमें अवैध गतिविधियों, जैसे- मादक पदार्थों की तस्करी या अवैध व्यापार, जबरन वसूली, हथियारों का अवैध व्यापार, जुआ आदि के ज़रिए प्राप्त किए गए धन को वैध स्रोतों से प्राप्त धन की तरह पेश किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को 'काले धन' को 'सफेद धन' में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है।
- 'मनी लॉन्ड्रिंग' शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूहों की अवैध गतिविधियों के संदर्भ में हुई थी। यहाँ, माफिया समूहों ने भारी मात्रा में जबरन वसूली, जुआ आदि से कमाए गए धन को वैध धन के रूप में दिखाया। 'हवाला लेनदेन' मनी लॉन्ड्रिंग का ही एक माध्यम है।
- आतंकवाद के वित्तपोषण का एक ज़रिया मनी लॉन्ड्रिंग भी है। इस तरह यह वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता, पारदर्शिता और दक्षता से समझौता करने के साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरा भी उत्पन्न करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि धन शोधन से विश्व में प्रति वर्ष \$ 590 बिलियन से \$ 1.5 ट्रिलियन राशि सृजित होती है। यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 से 5 प्रतिशत है।

मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के चरण (Steps in the Process of Money Laundering)

- **प्लेसमेंट (Placement):** यह मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम चरण है। इसमें 'अवैध धन' को वैध वित्तीय संस्थाओं में डाला जाता है। इसके तहत बड़ी धनराशि को छोटी-छोटी राशियों में बाँटकर बैंक खातों में डाला जाता है।
- **लेयरिंग (Layering):** खातों से बार-बार धन का हस्तांतरण, जमा और निकासी करना। इस प्रक्रिया के ज़रिए लेनदेन को अत्यंत जटिल बनाकर उसे वैध धन की तरह दिखाने और जाँच प्रक्रिया को असफल बनाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह अवैध धन को वैध धन में बदल दिया जाता है।
- **एकीकरण (Integration):** यह मनी लॉन्ड्रिंग का अंतिम चरण है। इसमें वैध रूप ले चुके धन को पुन: अर्थव्यवस्था में शामिल कराया जाता है। इसके लिए भूमि, मकान, विलासिता की वस्तुओं आदि की खरीद की जाती है। इसे वित्तीय और औद्योगिक निवेश के रूप में भी उपयोग किया जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न रूप/माध्यम (Various Forms/Medium of Money Laundering)

- **स्मर्फिंग (Smurfing):** यह धन की संरचना में बदलाव से जुड़ा उपाय है। इसके तहत नकद राशि को छोटी-छोटी राशियों में तोड़कर बैंक में जमा किया जाता है। बाद में इन राशियों का अनेक व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण होता है। परिणामस्वरूप ऐसे धन की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है।
- **शेल कंपनियाँ (Shell Companies):** ये ऐसी कंपनियाँ हैं जो किसी सक्रिय व्यावसायिक क्रिया में शामिल नहीं हैं। ये सामान या सेवाओं की आपूर्ति के नाम पर अवैध धन प्राप्त करती हैं। किंतु, इन सामानों या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति नहीं होती। इसमें नकली चालान और बैलेंस शीट के माध्यम से लेनदेन को वैध ठहराया जाता है।
- **राउंड ट्रिपिंग (Round Tripping):** इस प्रक्रिया में धन का निवेश न्यूनतम/शून्य कर वाले देशों में किया जाता है। इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि के ज़रिए इस धन को पुन: मूल देश में वापस लाया जाता है।
- **मुद्रा की तस्करी (Smuggling of Money):** इस प्रक्रिया में किसी देश से नकद राशि की भौतिक रूप से तस्करी करना और

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 09	साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'साइबर सुरक्षा तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- साइबर स्पेस
- भारत का साइबर स्पेस
- साइबर सुरक्षा के आयाम
- साइबर अपराध
- साइबर अपराध के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स
- साइबर जासूसी
- साइबर आतंकवाद
- साइबर युद्ध
- साइबर सुरक्षा का महत्त्व/आवश्यकता
- भारत में साइबर हमले
- भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
- साइबर सुरक्षा में बाधाएँ
- साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट
- साइबर सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास
- सोशल मीडिया
- सोशल मीडिया बनाम पारंपरिक मीडिया
- सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू
- सोशल मीडिया : आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा
- सोशल मीडिया का विनियमन

परिचय (Introduction)

- कंप्यूटर और इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं की सुरक्षा को प्राय: 'साइबर सुरक्षा' के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ी डिवाइस, सॉफ्टवेयर, डाटा नेटवर्क आदि की सुरक्षा शामिल होती है। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक ऑनलाइन सूचनाएँ, विभिन्न निजी और सार्वजनिक सेवा प्रदाता संस्थाओं के पास संचित सूचनाएँ, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाएँ आदि की सुरक्षा की बात की जाती है।
- दूरसंचार क्रांति के बढ़ते प्रभाव में लगभग सभी निजी और सार्वजनिक सूचनाएँ आज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कमज़ोर साइबर सुरक्षा तंत्र के कारण साइबर हमलों की सुभेद्यता बढ़ जाती है। ऐसे में पूरे साइबर स्पेस की सुरक्षा आवश्यक हो जाती है। साइबर सुरक्षा का कार्य है : संचार उपकरणों, नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्राम तथा सूचनाओं आदि तक किसी अवैध पहुँच, सूचनाओं की चोरी तथा उनमें बदलाव अथवा उन्हें नष्ट करने के सभी प्रयासों को असफल बनाना।

साइबर स्पेस (Cyber Space)

- 'साइबर स्पेस' शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गिब्सन ने वर्ष 1984 में अपनी पुस्तक 'न्यूरोमंसर' में किया था। साइबर स्पेस एक ऐसा संचार वातावरण है जिसमें संपूर्ण संचार प्रक्रिया कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है।
- साइबर स्पेस की सीमाएँ, देशों की भौगोलिक सीमाओं की तरह परिभाषित नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐसा स्वतंत्र परिवेश है जिसमें लोगों, दूरसंचार उपकरणों और सॉफ्टवेयर सेवाओं का आपसी संपर्क शामिल है। इनके माध्यम से सूचना और संचार का विश्वव्यापी वितरण संभव होता है।
- राष्ट्रीय साइबर नीति, 2013 के अनुसार, साइबर स्पेस लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के मध्य अंत:क्रियाओं का एक जटिल परिवेश है जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्तियों और नेटवर्क के विश्वव्यापी वितरण में समर्थन मिलता है।
- 1990 का दशक तीव्र गति से बढ़ते भूमंडलीकरण और कंप्यूटरीकरण का दौर था। इस समय मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे- संचार, बैंकिंग, व्यापार, शासन प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, परिवहन, मनोरंजन आदि में कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग तेज़ी से बढ़ा।
- इंटरनेट और कंप्यूटर के व्यापक उपयोग के कारण व्यक्ति का जीवन आसान हुआ तथा विकास की गति में भी वृद्धि हुई। किंतु, इस आभासी साइबर स्पेस में अपराध भी तीव्र गति से बढ़ा है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 10

क्षेत्रवाद (Regionalism)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'क्षेत्रवाद तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप
- क्षेत्रवाद के आधार
- क्षेत्रवाद : आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा
- उग्र क्षेत्रवाद से निपटने के उपाय

परिचय (Introduction)

- क्षेत्रवाद एक स्वहित प्रेरित भावना है, जिसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के निवासी अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य हितों को लेकर अत्यंत जागरूक और सक्रिय होते हैं। इसमें क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र के विकास और हितों की रक्षा को सर्वप्रमुख मानते हैं। वे अपने क्षेत्र के हितों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से लामबंद होते हैं।
- क्षेत्रवाद की धारणा स्थानीय निवासियों के बीच एकता और भाईचारे की भावना का विकास करती है। लोग एकसाथ मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा और उसमें अभिवृद्धि के लिए आंदोलन करते हैं और इसके लिए जनमत तैयार करते हैं।
- क्षेत्रवाद की भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति पृथक् राज्यों की मांग के रूप में होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में एक के बाद एक नए राज्यों की मांग और उनका गठन इसी भावना का परिणाम है।
- क्षेत्रवाद की अवधारणा को सामान्यत: सकारात्मक रूप में देखा जाता है। यह संबंधित क्षेत्र के पिछड़ेपन की समस्या को संबोधित करता है और उसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करता है।
- हालाँकि, क्षेत्रवाद जब अपने उग्र स्तर पर पहुँचता है, तो यह 'सत्ता के साथ संघर्ष' और 'अलगाववादी आंदोलन' के रूप में सामने आता है। ऐसे में यह देश की एकता और अखंडता तथा उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है।

क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप (Different Forms of Expression of Regionalism)

1. **विकास कार्यों के लिए दबाव बनाना (Creating Pressure for Development Works):** क्षेत्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति क्षेत्र विशेष के हितों की रक्षा और उसके विकास के लिए प्रशासनिक तंत्र और सरकारों पर दबाव रणनीति के रूप में देखी जाती है। पिछड़ेपन के शिकार क्षेत्रों के निवासी सामूहिक रूप से अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं। वे प्रशासन तथा सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आदि गतिविधियों का सहारा लेते हैं।
2. **क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग (Demand for Regional Autonomy):** क्षेत्रवाद की स्पष्ट सामूहिक अभिव्यक्ति सामान्यत: क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के रूप में सामने आती है। स्थानीय निवासी अपने सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक हितों का संरक्षण और उनमें अभिवृद्धि के लिए शक्तियों के अधिकतम विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण की मांग करते हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की यह प्रमुख मांग रही है।
3. **नए राज्यों का गठन (Formation of New States):** जब क्षेत्रवाद की भावना मज़बूत होती है और स्थानीय लोगों को लगता है कि मौजूदा राज्य के भीतर बने रहकर उनका विकास असंभव है, तो वे पृथक् राज्य की मांग करते हैं। कई बार यह मांग नृजातीय, भाषाई और धार्मिक आधारों पर भी की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश में एक के बाद एक नए राज्यों की मांग होती रही है। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ने अनेक नए राज्यों का गठन भी किया है।
4. **अलगाववाद (Separatism):** क्षेत्रवाद की भावना अपने चरम स्तर पर पहुँचकर अलगाववादी आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। एक देश की आंतरिक सुरक्षा तथा उसकी एकता और अखंडता के लिए अलगाववाद को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ग्रेटर नागालैंड, खालिस्तान आदि संप्रभु राज्यों की मांग भारत में अलगाववाद का स्पष्ट उदाहरण हैं।

क्षेत्रवाद के आधार (The Basis of Regionalism)

भूमि पुत्र की अवधारणा (The Concept of Son of the Soil)

- भारत में क्षेत्रवाद के उदय में 'भूमि पुत्र' की अवधारणा ने बड़ी भूमिका निभाई है। भूमि पुत्र की अवधारणा में इस बात पर बल दिया गया है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के सभी संसाधनों

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 11 विभिन्न सुरक्षा बल, एजेंसियाँ तथा उनके अधिदेश (Various Security Forces, Agencies and their Mandates)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'विभिन्न सुरक्षा बल, एजेंसियाँ तथा उनके अधिदेश तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- भारतीय थल सेना
- भारतीय जल सेना
- भारतीय वायु सेना
- सीमा सुरक्षा बल
- असम राइफल्स
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
- सशस्त्र सीमा बल
- केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
- भारतीय तटरक्षक
- होम गार्ड
- रेलवे सुरक्षा बल
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी
- प्रवर्तन निदेशालय
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
- नेटग्रिड
- राष्ट्रीय आपदा मोचन/प्रतिक्रिया बल

भारतीय थल सेना (Indian Army)

- भारत की सुरक्षा में सक्रिय सैनिकों का अधिकांश हिस्सा भारतीय थल सेना से आता है। यह विश्व की बड़ी थल सेनाओं में से एक है। यह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
- भारतीय थल सेना का प्राथमिक कार्य किसी बाहरी आक्रमण से देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। हालाँकि, यह आंतरिक विद्रोहियों से निपटने में भी मदद करती है।
- यह भारत के मित्र देशों में शांति स्थापित करने में मदद करती है।
- यह भारत में आपदा के समय लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के साथ ही राहत कार्यों में भी भूमिका निभाती है।

भारतीय जल सेना (Indian Navy)

- भारतीय जल सेना का कार्य भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना है। यह समुद्री सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले दुश्मनों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करती है। यह चीफ ऑफ नेवी (एडमिरल) के नेतृत्व में कार्य करती है।
- इसका कार्य यह भी सुनिश्चित करना है कि भारतीय समुद्री क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनी रहे और भारतीय बंदरगाह आदि सुरक्षित रहें।
- जल सेना भी आपदाओं के समय खोज और बचाव कार्यों में मदद करती है।

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force)

- भारतीय वायु सेना, एयर चीफ मार्शल के नियंत्रण में कार्य करती है। भारतीय वायु सेना भी भारत की सीमाओं की सुरक्षा में भूमिका निभाती है। युद्ध के समय इसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है।
- वायु सेना भी अन्य सेनाओं की तरह ही विभिन्न आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में मदद करती है।
- इसके साथ ही यह मित्र देशों में शांति स्थापना के प्रयासों में भी मदद करती है।

सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force : BSF)

- वर्ष 1965 तक पाकिस्तान के साथ लगने वाली भारत की सीमाओं की सुरक्षा राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन द्वारा की जाती थी। 9 अप्रैल, 1965 को पाकिस्तानी सेना ने कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट, चार बेट एवं बरिया बेट पर हमला किया। इसके बाद यह महसूस किया गया कि राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन किसी बाहरी सशस्त्र आक्रमण का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में भारत-पाक सीमा की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के अधीन सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल को भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश की सीमा पर तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह कश्मीर घाटी में घुसपैठ, उत्तर-पूर्व में आंतरिक सुरक्षा तथा ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ आदि में नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल है।
- यह बल प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए अपने कार्मिकों को भेजकर देशों में शांति स्थापित करने में सहयोग करता है।
- यह प्रसिद्ध सिख धार्मिक स्थल 'करतारपुर कॉरिडोर' की सुरक्षा भी कर रहा है।

सीमा सुरक्षा बल की भूमिका (Role of Border Security Force)

शांतिकाल में (In Peacetime)

- सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना।

Copyright @ Sanskriti IAS

शासन व्यवस्था

इकाई 1 शासन व्यवस्था (Governance System)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'शासन व्यवस्था तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
  - पृष्ठभूमि
  - शासन का अर्थ
  - कुछ संस्थाओं द्वारा दी गई शासन की परिभाषा
  - शासन और प्रशासन में अंतर

परिचय (Introduction)

शासन, राज्य के एक वृहद् अंग के रूप में हमेशा से ही जनकल्याण के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन रहा है। विगत कुछ दशकों से वैश्वीकरण के प्रभाव, बाज़ार की शक्तियों के उदय और नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं ने शासन की ज़िम्मेदारियों को और बढ़ा दिया है। इससे राज्य की भूमिका में भी परिवर्तन आया है, और इसके फलस्वरूप कल्याणकारी राज्य, कॉर्पोरेट राज्य में कर्ता की भूमिका से सुविधाप्रदाता व नियामक की भूमिका में परिवर्तित हो गया है। चूँकि, सरकार जो कि शासन के कार्य को क्रियान्वित करने वाली एकमात्र संस्था है अब उसकी जगह पर सहभागी और विकासात्मक प्रकार के शासन की मांग बढ़ी है। इसी प्रकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच बढ़ते अंतर ने भी शासन की आवश्यकता पर बल दिया है।

पृष्ठभूमि (Background)

शासन की अवधारणा का प्रयोग लगभग 14वीं सदी से होता रहा है, उस समय इसका प्रयोग सरकार के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे इसका प्रयोग कई अर्थों में किया जाने लगा जैसे- पद (Office), व्यक्ति को शासित करने वाले कार्य अथवा व्यक्ति के सामान्य व्यवहार से सदाचारी एवं विवेकशील होना इत्यादि। लेकिन यह आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उतना सटीक नहीं बैठता। वर्तमान समय में शासन की व्यापकता कानून और आदेश के संचालन से कहीं अधिक है। सरकार में जिसका उल्लेख औपचारिक, संस्थानिक संरचना और आधुनिक राज्य में प्राधिकृत निर्णयन के रूप में होता है, उसकी तुलना में शासन की संकल्पना ज़्यादा व्यापक है। अन्य शब्दों में कहें तो यह एक सहभागी व्यवस्था है जिसमें जनता की ओर से शासन करने के लिए उन्हें शामिल किया जाता है जो उत्तम सेवा की भावना से लोगों की भलाई करने, उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा जनता को सम्मानजनक एवं आनंदमय जीवन प्रदान करने हेतु अभिप्रेरित होते हैं।

शासन का अर्थ (Meaning of Governance)

शासन (Governance) शब्द ग्रीक भाषा के कुबेरनाओ (Kubernao) से लिया गया है जिसका अर्थ संचालन और आगे बढ़ाना होता है। शासन सामान्य रूप से निर्णय निर्माण करने और उसे क्रियान्वित कराने की एक प्रक्रिया है। अर्थात् शासन जनता को शासित करने अथवा सार्वजनिक मामलों को संचालित करने के लिए प्राधिकार को प्रयोग करने की एक प्रक्रिया है। सरल शब्दों में, शासन का संबंध सभी स्तरों पर मामलों का प्रभावकारी प्रबंधन है। यह क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी प्रदान करता है तथा जनता की सुरक्षा एवं संपूर्ण जनकल्याण को हासिल करने का प्रयास करता है। वास्तव में शासन, शासित करने वाली सभी प्रक्रियाओं से संबद्ध रहता है, चाहे वह सरकार हो या बाज़ार या फिर नागरिक समाज; जिनमें सभी सहयोगियों के मध्य अंत:क्रिया और निर्णयन अंतर्निहित हों।

शासन को सरल अर्थों में समझें तो यह विकास की प्रक्रिया में सरकार द्वारा देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करके सभी सार्वजनिक और निजी प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। अर्थात्, शासन के विकास की प्रक्रिया में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठन समाहित होते हैं। शासन में निम्नलिखित तत्त्व समाहित होते हैं-

- यह नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन की एक प्रक्रिया है।
- यह प्रक्रिया किसी संगठन या संस्थान के द्वारा एक निश्चित क्रियाविधि (Mechanism) के माध्यम से संचालित होती है।
- इसका उद्देश्य समाज/राज्य/देश के हितों की रक्षा करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना और वहाँ के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को भी सुनिश्चित करना होता है।
- संक्षेप में कहें तो सरकार जो कुछ करती है तथा जिस तरीके से करती है, उसे शासन कहा जाता है। अर्थात् शासन, सरकार की गतिविधि अथवा क्रियाविधि है।

कुछ संस्थाओं द्वारा दी गई शासन की परिभाषा

शासन को कुछ संस्थाओं ने परिभाषित किया है जैसे-

विश्व बैंक के अनुसार (According to World Bank)

शासन, सरकार द्वारा देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग का एक तरीका है। सामान्यत: इसके

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 2	सुशासन या अच्छा शासन (Good Governance)

सुशासन या अच्छा शासन (Good Governance)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'सुशासन तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
  - भारत में सुशासन
- स्मार्ट शासन
- नैतिक शासन
- वैश्विक शासन
- विकेंद्रित शासन
  - एम-शासन (मोबाइल - शासन)
  - एस-एम शासन (सोशल मीडिया - शासन)

परिचय (Introduction)

जब सरकार बेहतर तरीके से शासन करे तो इसे अच्छा शासन कहते हैं। यह कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह जनसाधारण की सरकार से 'सामान्य अपेक्षा' है कि वह अच्छी तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करे। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (Department for International Development) के अनुसार, सुशासन को निम्न विशेषताओं से युक्त होना चाहिए-

- नागरिक या जनसामान्य की सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था या सरकार का संचालन होना चाहिए।
- शासन व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ-साथ मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए।
- नीतियों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन तथा सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता प्रभावी एवं क्षमतापूर्ण होनी चाहिए।
- कानून एवं मानवाधिकारों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण होना चाहिए।

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) ने सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताओं को दर्शाया है, इनका विस्तृत विश्लेषण निम्नवत है-

1. जन सहभागिता (Public Participation)
- यह सुशासन की आधारशिला है।
- विभागीय कार्यप्रणाली की निगरानी, कार्यान्वयन एवं निर्णयप्रक्रिया में भागीदारी हेतु नागरिकों को अवसर प्रदान करना।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित नागरिक समाज की भूमिका।

2. सर्वसम्मति उन्मुखी (Consensus Orientation)
- अलग-अलग विचारों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए एक आम सहमति पर पहुँचना जिसमें सभी के हित सम्मिलित हों।
- साथ ही समस्त नागरिक समाज के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना और प्रत्येक क्षेत्रों में सर्वोत्तम की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना।

3. जवाबदेही (Accountability)
- सुशासन का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व।
- सरकार, सभ्य समाज और निजी संस्थानों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकल्पना।
- प्रकार: राजनीतिक जवाबदेही, प्रशासनिक जवाबदेही एवं सामाजिक जवाबदेही।

4. पारदर्शिता (Transparency)
- सूचनाओं का स्वतंत्र आदान-प्रदान
- सूचनाओं तक आसान पहुँच, विशेष तौर पर उनके लिए जो सरकार के निर्णय या कार्यप्रणाली से प्रभावित हों।

5. अनुक्रियात्मक (Responsive)
- नागरिक- केंद्रित और नागरिक हितैषी
- समयानुरूप सेवा प्रदान करने की भूमिका
- नागरिक शिकायतों का निवारण

6. प्रभावी और कुशल
- संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग
- सिविल सेवकों की योग्यता एवं उनका कुशल प्रदर्शन
- लक्ष्योन्मुखी कार्यप्रणाली

7. न्यायसंगत और समावेशी
- निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी हेतु सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना
- सभी वर्गों, विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए उचित अवसरों का निर्माण करना और उनके सर्वोत्तम विकास हेतु बेहतर वातावरण का निर्माण करना।

8. विधि के शासन का पालन
- निष्पक्ष कानूनी ढाँचा
- निष्पक्ष प्रवर्तन मशीनरी
- स्वतंत्र न्यायपालिका

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 3	लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका (The Role of Civil Services in Democracy)

लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका
(The Role of Civil Services in Democracy)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- भारत में सिविल सेवाएँ
- भारतीय लोकतंत्र में लोक सेवकों की बढ़ती भूमिका
- नौकरशाही एवं लोकतंत्र
- सिविल सेवा में कैडर व्यवस्था
- अखिल भारतीय सेवाओं का महत्त्व
- अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित विवाद
- लोकतंत्र में सिविल सेवा से अपेक्षाएँ
- सिविल सेवा में सुधार
- लेटरल एंट्री
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

भारत में सिविल सेवाएँ (Civil Services in India)

भारत में सिविल सेवाओं का विकास (Development of Civil Services in India)

भारतीय प्रशासनिक सेवा विश्व की प्राचीनतम् सिविल सेवा प्रणालियों में से एक है। भारत में सिविल सेवा प्रणाली का उद्भव मौर्यकाल में हो गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिविल सेवकों के चयन, पदोन्नति के सिद्धांतों एवं नियुक्ति के लिए निष्ठा संबंधी शर्तों और कार्यों के मूल्यांकन की विधियों का अनुसरण की जाने वाली आचार संहिता को वर्णित किया गया है। मौर्य काल में सिविल सेवकों को अध्यक्ष या रज्जुक कहा जाता था।

मुगलकाल में अकबर ने अप्रत्यक्ष रूप से सिविल सेवा को बढ़ावा देने के लिए भूमि राजस्व प्रणाली की नींव रखी। बाद में इस व्यवस्था ने भारतीय कराधान तंत्र की पृष्ठभूमि तैयार की।

भारत में आधुनिक सिविल सेवाओं की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई और क्रमिक रूप से विकसित हुई, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं–

- भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा में व्यापक सुधार किया एवं इसे संगठित रूप दिया।
- राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग कर दिया एवं कलेक्टर को ज़िले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख बना दिया।
- 1853 के चार्टर एक्ट में लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतिस्पर्द्धा की व्यवस्था की गई।
- वर्ष 1854 में, मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर लोक सेवकों की भर्ती के लिए सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रारंभ में परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी। परीक्षा में भाग ले सकने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष थी।
- वर्ष 1886 में एचिंसन आयोग ने सिविल सेवाओं को तीन भागों शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ में विभाजित किया।
- भारत में ब्रिटिश शासन को मज़बूत करने के लिए वर्ष 1911 में 'भारतीय लोक सेवा' की स्थापना की गई।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने इंपीरियल सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में विभाजित किया। इसी अधिनियम के तहत भारत में 'लोक सेवा आयोग' का प्रावधान किया गया, जिसे वर्ष 1926 में गठित 'ली आयोग' की सिफारिशों के बाद गठित किया गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 में संघ के लिए 'संघ लोक सेवा आयोग' और राज्यों के लिए 'प्रांतीय लोक सेवा आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया था।
- स्वतंत्रता के पश्चात् सिविल सेवकों से यह अपेक्षा की जाने लगी कि वे 'पुलिस राज्य' की नहीं, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में भूमिका निभाएँ।
- भारत में राज्य का प्रमुख कार्य जनकल्याण करना है। इसलिए राज्य को विभिन्न कल्याणकारी कार्य सौंपें गए हैं। जैसे- शरणार्थियों का पुनर्वास, व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा एवं आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना।

स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवाओं की भूमिका (The Role of Civil Services after Independence)

स्वतंत्रता के बाद भारत की शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित हो गई जो लोक कल्याण के आदर्शों से प्रेरित है। ऐसी स्थिति में लोक सेवकों की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। लोक सेवकों की भूमिका के संदर्भ में प्रथम प्रशासनिक आयोग ने निम्नलिखित तथ्य रेखांकित किए हैं-

- राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना एवं प्रशासन के एकरूपी मानकों को सुनिश्चित करना।
- प्रशासन को तटस्थ, वस्तुनिष्ठ, गैर-राजनीतिक, पंथनिरपेक्ष एवं गैर-सांप्रदायिक दृष्टिकोण प्रदान करना है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 4 — पारदर्शिता एवं जवाबदेही (Transparency and Accountability)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'पारदर्शिता एवं जवाबदेही से संबंधित मुद्दे तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- पारदर्शिता
  - पारदर्शी शासन के आवश्यक तत्त्व
- जवाबदेही
  - जवाबदेही बनाम उत्तरदायित्व
  - शासन में जवाबदेही की प्रासंगिकता
  - जवाबदेही के प्रकार
- भारत में जवाबदेही विकसित करने के साधन
  - सूचना का अधिकार
  - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
  - लोक प्राधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण
  - व्हिसिल ब्लोअर
  - व्हिसिल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014
  - जन-शिकायत निवारण तंत्र
  - जनसहभागिता या जन भागीदारी

पारदर्शिता (Transparency)

पारदर्शिता वह संकल्पना है जो शासन एवं प्रशासन से जुड़े विषयों पर जनसामान्य को समस्त आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराती है। साथ ही, यह विभिन्न सूचनाओं तक लोगों की समान पहुँच सुनिश्चित करती है। दूसरे शब्दों में, पारदर्शिता से आशय सरकारी नीतियों एवं निर्णयों के अधिकाधिक खुलेपन से है।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 'उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी' शीर्षक से प्रकाशित प्रथम रिपोर्ट में पारदर्शिता को इस रूप में परिभाषित किया गया है- 'जनसाधारण तक सूचनाओं की उपलब्धता और सार्वजनिक विभागों की कार्यप्रणाली में स्पष्टता आदि पारदर्शिता के द्योतक हैं'।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के ही 'शासन में नैतिकता' शीर्षक से प्रकाशित चौथी रिपोर्ट में पारदर्शिता को खुलापन एवं जवाबदेही के रूप में परिभाषित किया गया है'। इस रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी संगठन को तभी पारदर्शी माना जाएगा जब उसके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय और कार्यप्रणाली समस्त जनमानस के लिए उपलब्ध हो तथा मीडिया के विश्लेषण एवं सार्वजनिक परिचर्चा के लिए खुले हों।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पारदर्शिता को सूचना, नियमों, योजनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यों के स्पष्ट प्रकटीकरण के संदर्भ में सरकार, कंपनियों, संगठनों और व्यक्तियों के खुलेपन की विशेषता के तौर पर परिभाषित किया है।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पारदर्शिता को परिभाषित करते हुए आगे कहा है कि लोक अधिकारियों, सिविल सेवकों, कंपनियों और संगठनों के प्रबंधकों व निदेशकों और बोर्ड के न्यासधारियों का यह कर्तव्य है कि वे भागीदारी एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रूप से और समझदारी से कार्य करें और तीसरे पक्ष को आसानी से यह देखने की अनुमति दें कि कौन से कार्य किए जा रहे हैं।

पारदर्शिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-

- पारदर्शिता, शासन एवं प्रशासन की समस्त कार्यप्रणाली में लोगों की प्रभावी भागीदारी का विकास करती है।
- यह शासन एवं प्रशासन में विद्यमान अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा निरंकुशता पर लगाम लगाती है।
- यह शासन में मौजूद कमियों का मूल्यांकन करते हुए उनके निराकरण हेतु प्रभावी अवसर उपलब्ध कराती है।
- भारत में शासन एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली गोपनीयता पर आधारित रही है। इसी परंपरागत व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने और सार्वजनिक विभागों की कार्यप्रणाली को गोपनीय बनाने के लिए 'कार्यालयीय गोपनीयता अधिनियम 1923' को पारित किया गया था। यह कानून विभागीय कार्यप्रणाली को सार्वजनिक करना दंडनीय अपराध घोषित करता है।
- उल्लेखनीय है कि 'कार्यालयीय गोपनीयता अधिनियम 1923' की प्रासंगिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' पारित किया गया था।
- 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005', प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक विभागों से सूचनाओं की प्राप्ति हेतु अधिकार प्रदान करता है।
- हालाँकि, 'कार्यालयीय गोपनीयता अधिनियम 1923' को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 5

ई-गवर्नेन्स (e-Governance)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'ई-गवर्नेन्स तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- ई-गवर्नेन्स या ई-शासन का अर्थ
- ई-गवर्नेन्स के लक्ष्य
- भारत में ई-शासन के विकास के विभिन्न चरण
- ई-शासन के मॉडल
- ई-शासन के लाभ
- भारत में ई-शासन से संबंधित पहलें
  - ➤ सरकार से नागरिक तक (जी. 2 सी.) से संबंधित पहलें
  - ➤ सरकार से व्यवसाय तक (जी. 2 बी.) से संबंधित पहलें
  - ➤ सरकार से सरकार तक (जी. 2 जी.) से संबंधित पहलें
- ई-गवर्नेन्स के समक्ष चुनौतियाँ
- ई-शासन पर द्वितीय ए.आर.सी. की रिपोर्ट

ई-गवर्नेन्स या ई-शासन का अर्थ (Meaning of e-Governance)

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने व्यक्ति, समूह, व्यवसाय, संगठन एवं सरकार को तीव्रतर और बेहतर संचार के साधन, आँकड़ों का संग्रहण, पुनर्प्राप्ति और प्रसंस्करण तथा सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान और उपयोग के साधन प्रदान किए हैं।
  - ➤ ई-शासन में 'ई' शब्द का आशय 'इलेक्ट्रॉनिक' से है। इस प्रकार ई-शासन सरकारी कार्यों के संचालन में सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) के प्रयोग को इंगित करता है।
  - ➤ ई-गवर्नेन्स मूल रूप से स्मार्ट (SMART) गवर्नेन्स की ओर एक कदम है जिसका अर्थ है- सरल, नैतिक, उत्तरदायी, अनुक्रियात्मक और पारदर्शी शासन।
- **यूनेस्को** - "ई-गवर्नेन्स को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शासन के प्रदर्शन के रूप में समझा जा सकता है, ताकि जनता और अन्य एजेंसियों को सूचना प्रसारित करने और शासन संबंधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक कुशल, तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।"

विश्व बैंक के अनुसार

- "ई-शासन सरकार के विभिन्न संस्थानों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकियों (जैसे- वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग) के प्रयोग को इंगित करता है। यह नागरिकों, व्यापारियों और अन्य सरकारी अंगों के साथ संबंधों को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है।''
- ई-शासन मुख्य रूप से स्मार्ट (SMART) शासन की तरफ एक प्रयास है। जो सरल (SIMPLE), नैतिक (MORAL), जबावदेह (ACCOUNTABLE), अनुक्रियात्मक (RESPONSIVE), पारदर्शी (TRANSPARENT), शासन की ओर इंगित करता है।

डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार

- विभिन्न विभागीय सीमाओं को पार करते हुए सूचना के प्रमाणिक और सुरक्षित प्रवाह तथा नागरिकों को असीमित पहुँच के साथ उचित और पक्षपातरहित सेवा प्रदान करने सहित एक पारदर्शी "स्मार्ट'' शासन ही ई-शासन है।''

ई-गवर्नेन्स के लक्ष्य (The Goals of e-Governance)

- नागरिकों को उत्तम सेवाएँ प्रदान करना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- सूचना के माध्यम से लोगों को जागरूक करना।
- सरकारी एजेंसियों की दक्षता में सुधार हेतु तकनीकी हस्तक्षेप।
- व्यापार और उद्योग में इसे लागू करना।

भारत में ई-शासन के विकास के विभिन्न चरण (Various Stages of Development of e-Governance in India)

ई-शासन मुख्य रूप से कंप्यूटर तकनीक- कंप्यूटरों और संचार प्रणालियों के नेटवर्किंग के विकास से संबद्ध है। भारत में 1990 के दशक से ई-शासन के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों और अवसरों की सुलभता रही है। भारत में ई-शासन का विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ-

- **कंप्यूटरीकरण :** पहले चरण में बड़ी संख्या में सरकारी संगठनों को पर्सनल कंप्यूटर से युक्त किया गया।
- **नेटवर्किंग :** इस चरण में कुछ सरकारी एजेंसियों के कुछ इकाईयों को सूचना की भागीदारी और अनेक सरकारी कार्यालयों के आँकड़ों को हब से जोड़ा गया।
- **ऑनलाइन उपस्थिति :** बढ़ते हुए इंटरनेट संपर्क की वजह से वेब पर उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 6 — नागरिक चार्टर (Citizen's Charter)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'नागरिक चार्टर तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिभाषा
- नागरिक चार्टर का विकास एवं सिद्धांत
- नागरिक चार्टर का महत्त्व
- भारत में नागरिक चार्टर का विकास
- भारत में नागरिक चार्टर से संबंधित विवाद
- नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें
- सेवोत्तम मॉडल
  - सेवोत्तम मॉडल के लाभ
- सेवोत्तम मॉडल का महत्त्व
  - सेवाओं का समयबद्ध वितरण

परिभाषा (Definition)

नागरिक चार्टर, नागरिकों के अधिकार संबंधी एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी संस्थान को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल बनाना है। इसके माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि, ये दस्तावेज़ किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं फिर भी नागरिक चार्टर सुशासन के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

नागरिक चार्टर का विकास एवं सिद्धांत (Citizen's Charter Development and Principles)

नागरिक चार्टर की अवधारणा सर्वप्रथम इंग्लैंड में जॉन मेयर की रूढ़िवादी सरकार ने वर्ष 1991 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था, कि सरकारी सेवाओं को नागरिकों के प्रति प्रतिक्रियाशील बनाया जाए। नागरिक चार्टर एक सार्वजनिक वक्तव्य होता है, जिसमें विशिष्ट सेवाओं के बारे में नागरिकों के हक एवं उनसे अपेक्षाएँ, सेवा का विवरण तथा मानक शर्तों का अनुपालन न होने पर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का विवरण होता है।

नागरिक चार्टर के सिद्धांत एवं उद्देश्य-

- **गुणवत्ता :** सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। उदाहरण- आर.टी.आई. के माध्यम से मांगी गई जानकारी डिजिटल फॉर्म में अच्छी तरह से पढ़ने योग्य प्रारूप में प्रदान की जाती है।
- **चयन :** उपभोक्ता, जहाँ कहीं भी संभव हो अपनी प्राथमिकताओं और पसंद के अनुसार सेवाओं का चयन कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। उदाहरण: लोगों को सिलेंडर या पाइप कनेक्शन के माध्यम से एल.पी.जी. कनेक्शन प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है।
- **मानक :** नागरिक चार्टर विभिन्न सेवाओं के मानकों को निर्दिष्ट करता है जो लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूक करता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न निजी एजेंसियों और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित जल गुणवत्ता मानकों को प्रकाशित किया जाता है, जो लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सेवा मानकों का चयन करने की अनुमति देता है।
- **मूल्य :** करदाताओं के धन के बदले सरकार द्वारा करदाताओं को सेवाएँ दी जाती हैं। सरकार विवेकपूर्ण तरीके से राशि खर्च करने और लोगों की संतुष्टि में सुधार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। जैसे- आर.टी.आई. के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी डिजिटल प्रारूप में दी जाती है, इससे करदाताओं के धन की बचत होती है क्योंकि कागज़ों पर अधिक पैसा खर्च होता है। इससे लोगों की संतुष्टि में भी सुधार होता है क्योंकि सूचना समय पर उपलब्ध होती हैं।
- **जवाबदेही :** नागरिक चार्टर, विभागों की जवाबदेही को लागू करता है क्योंकि नागरिक, सेवा मानकों और सेवाओं के वास्तविक प्रदर्शन से अवगत होते हैं।
- **पारदर्शिता :** नागरिक चार्टर लोगों को सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और योजनाओं का पालन करता है। इनमें से कोई भी विचलन लोगों को संबंधित विभाग से शिकायत निवारण प्राप्त करने का अवसर देता है। उदाहरण- राजस्थान सरकार का जन सूचना पोर्टल।

नागरिक चार्टर का महत्त्व (Importance of Citizen's Charter)

- यह सरकारी विभागों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाता है।
- यह नागरिक समाज को प्रशासन में सम्मिलित करने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मज़बूत साधन है।
- इसका लक्ष्य सेवा वितरण के मापदंड में विकास करना है।
- यह सरकार को अत्यंत प्रतिक्रियाशील बनाता है।
- यह शासन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 7 — सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'सामाजिक अंकेक्षण तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिभाषा
- अंकेक्षण के प्रकार
- भारत में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत
- सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता
- सामाजिक अंकेक्षण का महत्त्व
- सामाजिक अंकेक्षण के लाभ
- सामाजिक अंकेक्षण की सीमाएँ
- सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव
- सामाजिक अंकेक्षण के समक्ष चुनौतियाँ
- श्रेष्ठ अनुपालन : प्रमुख केस स्टडी

परिभाषा (Definition)

सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों (जिसका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज से होता है) के उद्देश्यों को मापने में जनसाधारण की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी कार्यक्रम की सामाजिक भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सूचना के संप्रेषण का एक माध्यम प्रदान करना है। यह निर्णय निर्माताओं, प्रतिनिधियों और प्रबंधकों की जवाबदेही में वृद्धि करती है, ताकि विकास का लाभ समाज के हर स्तर तक पहुँच सके।

सामाजिक लेखा परंपरागत लेखा (मुख्यत: वित्तीय लेखा) से भिन्न है। वित्तीय लेखा में धन के सही उपयोग का निरीक्षण होता है, जबकि सामाजिक लेखा में धन के सही उपयोग के साथ-साथ यह भी देखा जाता है कि उस धन के खर्च का क्या प्रभाव हुआ है।

अंकेक्षण के प्रकार (Types of Social Audit)

सामान्यत: सामजिक लेखा में इस बात का लेखा-जोखा किया जाता है कि किसी संस्था के आर्थिक क्रियाकलापों का समाज एवं पर्यावरण पर क्या और कितना प्रभाव हुआ है। अंकेक्षण तीन प्रकार के होते हैं-

1. **वित्तीय अंकेक्षण**- वित्त के उपयोग का निरीक्षण, प्रसंस्करण, सारांश और रिपोर्टिंग की दिशा में निर्देशित।
2. **परिचालन अंकेक्षण**- संचालन के मानकों को स्थापित करना, मानकों के खिलाफ प्रदर्शन को मापना, विचलन की जाँच और विश्लेषण करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना और अनुभव के आधार पर मानकों का पुन: मूल्यांकन करना मुख्य फोकस है।
3. **सामाजिक अंकेक्षण**- सोशल ऑडिट, विभाग के गैर-वित्तीय उद्देश्यों के प्रभाव का आकलन व्यवस्थित और नियमित निगरानी के माध्यम से अपने हितधारकों के विचारों के आधार पर करता है।

भारत में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत (Introduction of Social Audit in India)

- भारत में सामाजिक अंकेक्षण को शुरू करने की पहल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को), जमशेदपुर द्वारा वर्ष 1979 में की गई थी।
- सोशल ऑडिट किसी संगठन की सामाजिक जवाबदेही के मापन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन के बाद इसे महत्त्व मिला।
- 9वीं पँचवर्षीय योजना (2002-07) के दृष्टिकोण पत्र ने पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) के प्रभावी कामकाज के लिए सामाजिक अंकेक्षण पर ज़ोर दिया और ग्राम सभाओं को अन्य कार्यों के अलावा सोशल ऑडिट का संचालन करने का अधिकार दिया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 नियमित "सामाजिक अंकेक्षण" प्रदान करता है, ताकि योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता (Need of Social Audit)

स्वतंत्रता के पश्चात् सामजिक विकास कार्यक्रमों में, भारत सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए निवेश को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसलिए विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता एवं मितव्ययिता के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी।

1. सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि करने के लिए।
2. अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 8	गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organizations)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'गैर-सरकारी संगठन तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
  - भारतीय गैर-सरकारी संगठनों का वर्गीकरण
  - प्रमुख गैर-सरकारी संगठन
- गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका
  - विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका
  - पर्यावरण के संरक्षण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका
- गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन
  - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 2010
- गैर-सरकारी संगठनों के लाभ और चुनौतियाँ
  - लाभ
  - चुनौतियाँ
- गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज में सुधार के लिए सुझाव
  - स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति, 2007
  - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की बढ़ी हुई भूमिका

परिचय (Introduction)

- एक गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एक ऐसा संगठन है जो न तो सरकार का हिस्सा है और न ही पारंपरिक लाभकारी व्यवसाय है। आमतौर पर सामान्य नागरिकों द्वारा स्थापित गैर-सरकारी संगठनों को सरकारों, फाउंडेशनों, व्यवसायों या निजी व्यक्तियों द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है।
- एन.जी.ओ. की गतिविधियों में पर्यावरणीय, सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी कार्य शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। वे व्यापक स्तर पर या स्थानीय स्तर पर सामाजिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं।
- एन.जी.ओ. समाज के विकास, समुदायों को बेहतर बनाने और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय गैर-सरकारी संगठनों का वर्गीकरण (Classification of Indian non-governmental Organization)

भारतीय गैर-सरकारी संगठन मुख्य रूप से तीन वर्गों के अंतर्गत आते हैं-

- **सोसाइटीज :** सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
- **ट्रस्ट (न्यास) :** निजी ट्रस्ट, केंद्र सरकार के भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत हैं और सार्वजनिक ट्रस्ट, संबंधित राज्य कानून के तहत पंजीकृत हैं।
- **धर्मार्थ कंपनियाँ :** ये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुसार स्थापित की जाती हैं। धर्मार्थ कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताएँ अधिक होती हैं, क्योंकि ट्रस्ट या समाज की तुलना में उन्हें ऋण और अग्रिम आसानी से उपलब्ध होते हैं। उन्हें आई.टी. अधिनियम, 1961 के तहत आयकर का भुगतान भी करना पड़ता है।

प्रमुख गैर-सरकारी संगठन (Major Non-governmental Organizations)

- अक्षय पात्र
- मुस्कान फाउंडेशन
- कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन
- प्रथम
- क्राई: चाइल्ड राइट्स एंड यू
- हेल्पएज इंडिया

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका (The Role of Non-governmental Organizations)

विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका (The Role of Non-governmental Organizations in Development)

- **राज्यों द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों में कार्य करना :** जैसे- जाति व्यवस्था, जाति पदानुक्रम एवं जाति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का निषेध करने वाला कानून प्रायः तब तक उपेक्षित रहता है जब तक कोई गैर-सरकारी संगठन इस पर कार्य करने के लिए तैयार न हो।
- **उन क्षेत्रों में कार्य करना जहाँ सरकार द्वारा पर्याप्त विकास कार्य नहीं किया गया है :** जैसे- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल तथा सरकारी स्कूलों एवं अस्पतालों की भारी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संगठन

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 9	स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)

इकाई 9
स्वयं सहायता समूह
(Self Help Group)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'स्वयं सहायता समूह तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिभाषा
- एस.एच.जी. की विशेषताएँ
- एस.एच.जी. के उद्देश्य
- एस.एच.जी. की उत्पत्ति और विकास
- एस.एच.जी. के प्रमुख कार्य
- स्वयं सहायता समूहों का सामाजिक प्रभाव
- भविष्य के अवसर
- स्वयं सहायता समूहों से संबंधित मुद्दे
- ग्रामीण क्षेत्रों में एस.एच.जी. के विकास में सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ
- एस.एच.जी. को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- कोविड-19 महामारी में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

परिभाषा (Definition)

नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने स्वयं सहायता समूहों को 'ग्रामीण गरीबों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया है, जो स्वेच्छा से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाने, उसे एकत्र करने, उसे उत्पादन कार्यों में लगाने और आकस्मिक ऋण ज़रूरतों को पूरा करने लिए सहमत हैं'।

एक स्वयं-सहायता समूह को "समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के स्व-शासित, सहकर्मी-नियंत्रित सूचना समूह और सामूहिक रूप से सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की इच्छा रखने वाले लोगों के समूह" के रूप में परिभाषित किया गया है।

एस.एच.जी. सूक्ष्म स्तर पर स्वयं सहायता के लिए एक मिनी स्वैच्छिक एजेंसी है, जो कमज़ोर वर्ग विशेषकर महिलाओं पर उनकी सामाजिक रक्षा के लिए केंद्रित है। एस.एच.जी. की अवधारणा "महिलाओं का, महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए" के सिद्धांत पर कार्य करती है।

स्वयं सहायता समूह उन लोगों का अनौपचारिक संघ है जो अपने रहने की स्थिति में सुधार के तरीके खोजने के लिए एकसाथ आने का विकल्प चुनते हैं। वे गरीबों, विशेषकर महिलाओं के बीच सामाजिक पूंजी का निर्माण करने में मदद करते हैं।

एस.एच.जी. की विशेषताएँ (Features of SHGs)

स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ बुनियादी विशेषताएँ धारण करना आवश्यक है-

- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि सजातीय और समान हित वाली होनी चाहिए।
- इसे कम-से-कम छह महीने की अवधि के लिए सक्रिय अस्तित्व में होना चाहिए।
- इसे स्वयं के संसाधनों से सफलतापूर्वक बचत और ऋण संचालन करना चाहिए।
- इसे लोकतांत्रिक रूप से काम करना चाहिए, जिसमें सभी सदस्यों को लगता हो कि उनके पास समान अधिकार हैं।
- समूह उचित खातों/अभिलेखों का रखरखाव कर रहा हो।
- बैंकर को आश्वस्त होना चाहिए कि समूह केवल लाभ प्राप्त करने के लिए अस्तित्व में नहीं आया है। साथ ही, सदस्यों में एक-दूसरे की मदद करने और मिलकर काम करने की वास्तविक आवश्यकता होनी चाहिए।

एस.एच.जी. के उद्देश्य (Objectives of SHG)

एस.एच.जी. का मुख्य उद्देश्य बचत और बैंकिंग आदत को विकसित करना है, अर्थात ऋण प्राप्त करना और एक निश्चित अवधि में उसे चुकाना। ज्यादातर एस.एच.जी. अनौपचारिक समूह होते हैं जिनके सदस्य अपनी बचत जमा करते हैं और उसे समूह के भीतर बारी-बारी से या ज़रूरत के आधार पर उपयोग करते हैं।

एस.एच.जी. की उत्पत्ति और विकास (Origin and Development of SHGs)

- एस.एच.जी. की शुरुआत वर्ष 1975 में चटगांव विश्वविद्यालय के मुहम्मद यूनुस द्वारा बांग्लादेश में हुई थी। यह सामान्य रूप में गरीबी उन्मूलन और विशेष रूप में महिला सशक्तीकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम है।
- 1986-87 में भारत में इसे प्रारंभ करने का श्रेय "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" (NABARD) को जाता है। लेकिन वास्तविक प्रगति 1991-92 के बाद बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूहों के जुड़ाव से हुआ।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 10 — नागरिक समाज (Civil Society)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'नागरिक समाज तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- नागरिक समाज
  - प्रसिद्ध नागरिक समाज संगठन
- भारत में नागरिक समाज
  - भारत में नागरिक समाज के प्रकार
  - सक्रिय नागरिक समाज की आवश्यकता क्यों
  - नागरिक समाज का सुशासन में योगदान
- नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों में अंतर
- नागरिक समाज की भूमिका
- कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में नागरिक समाज संगठनों का महत्त्व
  - सामुदायिक संगठन की भूमिका
  - समस्याएँ
  - सुझाव
- स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति
  - नीति के उद्देश्य
- विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी
- स्वैच्छिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण के लिए योजना आयोग के सुझाव
  - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 9वीं रिपोर्ट : सामाजिक पूंजी

नागरिक समाज (Civil Society)

नागरिक समाज की अवधारणा सर्वप्रथम हीगल द्वारा प्रतिपादित की गई। हीगल ने प्राकृतिक समाज एवं राजनैतिक समाज से अलग नागरिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार नागरिक समाज के अंतर्गत समस्त गैर-सरकारी, गैर-राजनैतिक समाज सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे- धर्म आधारित संगठन, जाति आधारित संगठन, महिलाओं का संगठन, छात्रों का संगठन, व्यापारिक संगठन इत्यादि।

विश्व बैंक- सिविल सोसाइटी का तात्पर्य संगठनों, सामुदायिक समूहों, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), श्रमिक संघों, स्वदेशी समूहों, धर्मार्थ संगठनों, विश्वास आधारित संगठनों, पेशेवर संघों आदि की एक विस्तृत श्रृंखला से है।

नागरिक समाज एक व्यापक अवधारणा है, जो औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाओं को संदर्भित करती है और इसमें निजी क्षेत्र, मीडिया, गैर-सरकारी संगठन, पेशेवर संघ और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

वैश्विक पटल पर, 'सिविल सोसाइटी' शब्द 1980 के दशक में लोकप्रिय हुआ, जब इसे सत्तावादी शासन का विरोध करने वाले गैर-राज्य आंदोलनों के रूप में पहचाना जाने लगा, खासकर पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में।

नागरिक समाज को गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के बराबर नहीं रखा जाना चाहिए। एन.जी.ओ. नागरिक समाज का एक हिस्सा हैं, हालाँकि, सामाजिक-आर्थिक विकास और राजनीति में नागरिक भागीदारी को सक्रिय करने और नीति को आकार देने या उसे प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण एवं कभी-कभी मुख्य भूमिका निभाते हैं।

प्रसिद्ध नागरिक समाज संगठन (Famous Civil Society Organizations)

- एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International)
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (International Trade Union Confederation)
- प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) (World Wide Fund for Nature - WWF)
- ग्रीनपीस (Greenpeace)
- डेनिश शरणार्थी परिषद्, (The Danish Refugee Council - DRC)
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (Reporters without Boarder)

भारत में नागरिक समाज (Civil Society in India)

- भारत में, 1970 के दशक के अंत तक कई जन आधारित राजनीतिक आंदोलनों और ज़मीनी स्तर पर सक्रियता का जन्म हो चुका था।
- नागरिक समाज संगठन आपसी सामंजस्य, सामान्य दृष्टिकोण और नेटवर्किंग के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से ऐसे सहकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 11	सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (Micro Finance Institutions)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
- विकास में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की भूमिका
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों से संबंधित विवाद
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों की क्रियाविधि में सुधार हेतु सुझाव

परिचय (Introduction)

सूक्ष्म वित्त, एक बैंकिंग सेवा है। इसे ऐसे सुभेद्य वर्गों या कम आय वाले व्यक्तियों अथवा समूहों को दिया जाता है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुँच नहीं होती है।

- सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (Micro Finance Institutions) समाज के ज़रूरतमंद और कमज़ोर वर्गों को स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए कम समय हेतु ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाले वित्तीय संस्थान हैं। ये संस्थान बहुत ही कम या परिकल्पित जोखिम उठाते हैं और इच्छुक उधारकर्ताओं को उनके प्रशिक्षण, छोटे स्तर पर व्यापार स्थापित करने एवं चलाने में सहायता करने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं।
- एम.एफ.आई. भारत में विभिन्न कार्य करते हैं-
  - संयुक्त देयता समूह
  - स्वयं सहायता समूह
  - ग्रामीण बैंक मॉडल
  - ग्रामीण सहकारी समितियाँ
- एम.एफ.आई. का ऋण तंत्र परंपरागत बैंकिंग क्षेत्र से पूरी तरह भिन्न है। यह वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण आवेदन और वितरण प्रक्रिया पर लोगों से चर्चा करने एवं संपर्क स्थापित करने के लिए एक क्षेत्राधिकारी नियुक्त करता है।
- इनके द्वारा नियुक्त अधिकारी आवेदन की जाँच पड़ताल करने के बाद ऋण के लिए धनराशि निर्धारित करता है।
- यह अधिकारियों के ज़रिए उधारकर्ताओं के व्यापार से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण करता है।

विकास में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की भूमिका (The Role of Micro Finance Institutions in Development)

- **महिला सशक्तीकरण :** एम.एफ.आई. भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। देश की गरीब वंचित महिलाओं को ऋण सेवाएँ प्रदान कर इन संस्थाओं ने महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण एवं आर्थिक समावेशन का मार्ग प्रशस्त किया है।
- **ग्रामीण विकास :** ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व वंचित वर्गों को सब्सिडी की अपेक्षा ऋण की आवश्यकता होती है।
- ग्रामीण क्षेत्रो में नियमित रोज़गार न होने से लोगों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। इसलिए, वे अत्यधिक ब्याज पर साहूकारों से धन उधार लेने के लिए विवश होते हैं।
- ग्रामीण लोगों को ब्याज के दुष्चक्र से बचाने के लिए एम.एफ. आई. लीगल बॉण्ड न होने के बावजूद गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं।
- **गैर-वित्तपोषित लोगों का वित्तपोषण :** एम.एफ.आई. ग्रामीण एवं शहरी गरीबों की ज़रूरतों के अनुरूप बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए नए-नए तरीकों को अपनाने एवं गरीबों को ऋण प्रदान करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 500 मिलियन से अधिक लोग सूक्ष्म वित्तीयन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों से संबंधित विवाद (Disputes related to Micro Finance Institutions)

- **अत्यधिक ब्याज दर :** वाणिज्यिक बैंकों (8-12%) की तुलना में एम.एफ.आई. की ब्याज दर (12-30%) अत्यधिक होती है। जब से आर.बी.आई. ने एम.एफ.आई. के ऋणों की ब्याज दर पर लगी 16% की ऊपरी सीमा को हटाने की घोषणा की है तब से आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या दर में वृद्धि हुई है।
- **बैंकिंग क्षेत्र पर एम.एफ.आई. की अधिक निर्भरता :** एम.एफ. आई. के लगभग 80% फंड का स्रोत निजी बैंक होते हैं, जो उच्च ब्याज दर पर कम समय के लिए उधार देते हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 12 सोसाइटी, न्यास तथा लोकोपकारी संस्था (Society, Trust and Philanthropic Society)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'सोसाइटी, न्यास तथा लोकोपकारी संस्था और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- सोसाइटी
- न्यास
  - ➤ न्यास के प्रकार
  - ➤ न्यास के उद्देश्य
- सोसाइटी और न्यास में अंतर
- धार्मिक न्यास
  - ➤ वक्फ
  - ➤ श्रमिक संघ

सोसाइटी (Society)

- सोसाइटी कुछ लोगों (7 या अधिक) का एक ऐसा समूह होता है जिसे लोगों में साहित्य, कला, विज्ञान आदि के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाता है।
- इन्हें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है।
- इन्हें आरंभ करने के लिए साझा संपत्ति का होना अनिवार्य नहीं है (अर्थात् संपत्ति हो भी सकती है और नहीं भी)। परंतु भविष्य में ये परिसंपत्ति का अधिग्रहण कर सकती हैं।
- सोसाइटियों के अनैतिक कार्यों में संलिप्तता से निपटने के लिए कई राज्यों द्वारा इन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया है। इन नियंत्रक उपायों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है–
  - ➤ पूछताछ और जाँच की शक्ति
  - ➤ पंजीकरण का निरसन
  - ➤ शासी निकाय का अधिग्रहण
  - ➤ प्रशासक की नियुक्ति
  - ➤ निष्क्रिय संगठनों का विघटन एवं विलोपन।

न्यास (Trust)

- न्यास एक ऐसा संगठन है जो दो व्यक्तियों के भरोसे पर टिका होता है, जिसमें एक पक्ष को ट्रस्टर (संपत्ति देने वाला) के रूप में एवं दूसरे पक्ष को ट्रस्टी (संपत्ति/ट्रस्ट की देखरेख करने वाला) के रूप में जाना जाता है। इसमें ट्रस्टर अपनी संपत्ति को किसी ट्रस्टी को सौंपता है और उस संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए उपयोग करने का अधिकार देता है।

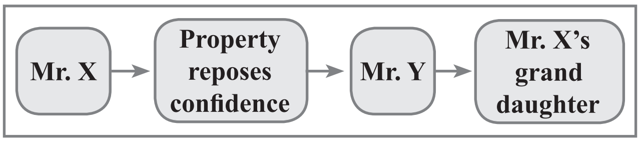

- सरल शब्दों में, एक न्यास और कुछ नहीं बल्कि मालिक (Mr. X) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (Mr. Y) को संपत्ति का हस्तांतरण है, जिसमें मालिक को इस संपत्ति से किसी तीसरे व्यक्ति (अर्थात् X की पोती) को लाभ होने का भरोसा है।
- इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाता है।

न्यास के प्रकार (Types of Trust)

- **निजी न्यास :** यह न्यास बंद समूह (विशेष लोगों) के लिए होता है। दूसरे शब्दों में, इसमें लाभार्थी की पहचान की जा सकती है। जैसे- वसीयत लिखने वाले के रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए बनाया गया ट्रस्ट।
- **सार्वजनिक न्यास :** यह न्यास बड़े समूहों के लिए बनाया जाता है। उदहारण के लिए, आम जनता के लाभ के लिए गैर-लाभकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के धर्मार्थ संस्थान।

न्यास के उद्देश्य (Objectives of Trust)

- इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि न्यास को वैध कार्यों के लिए बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मिस्टर एक्स ने किसी बैंक से पैसे चुराए थे और गरीब बच्चों को पैसे देने के इरादे से मिस्टर वाई को दे दिए थे, तो इस मामले में न्यास ही शून्य है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य गैर-कानूनी है।
- न्यास अत्यधिक बहुमुखी साधन हैं जो संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं और मूल संपत्ति के मालिक की मृत्यु के लंबे समय के बाद भी उन्हें सही हाथों में निर्देशित कर सकते हैं।
- न्यास, संपत्ति का उपयोग करने की एक कानूनी इकाई होती है। इसके संरक्षण में संपत्ति, परिवार के किसी सदस्य के संरक्षण में रहने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होती है। उदाहरण के लिए, यदि संपत्ति का हस्तांतरण किसी करीबी रिश्तेदार को कर दिया जाता है तो उसे मुकदमा एवं तलाक जैसी अन्य कानूनी समस्याओं में उलझा कर उन संपत्तियों को जोखिम में डाला जा सकता है।
- कुछ व्यक्ति वसीयत में लिखी शर्तों को छुपाने के लिए न्यास का उपयोग करते हैं क्योंकि न्यायालयों में वसीयत की शर्तें सार्वजनिक हो जाती हैं।

Copyright @ Sanskriti IAS

इकाई 13 — विकास सहायता एवं निजी वित्तपोषण
(Development Assistance and Private Financing)

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत 'विकास सहायता एवं निजी वित्तपोषण तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं' पर आपकी समझ विकसित होगी।

- परिचय
  - विकास सहायता से जुड़े वर्तमान मुद्दे
- भारत को विदेशी सहायता
- भारत द्वारा विदेशी सहायता
  - प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विदेशी सहायता पर भारत का रुख
  - राजनीतिक दलों को छूट देने के लिए एफ.सी.आर.ए. में हालिया संशोधन
- विदेशी वित्तपोषण और गैर-सरकारी संगठन
  - विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010
  - एफ.सी.आर.ए अधिनियम के साथ हाल के मुद्दे और गैर-सरकारी संगठनों पर प्रभाव

परिचय (Introduction)

- **अर्थ :** विकास सहायता, विकासशील देशों में आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक विकास का समर्थन करने के लिए सरकारों और अन्य एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। इसमें गरीबी को कम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति शामिल है।
- कई विदेशी विशेषज्ञ भारत को 'विकास के विरोधाभास' के रूप में देखते हैं। भारत उच्च विकास दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह रक्षा व्यय पर पर्याप्त राशि खर्च करता है। इसके बावजूद यह विकास सहायता चाहता है।

विकास सहायता से जुड़े वर्तमान मुद्दे (Current Issues related to Development Assistance)

- **भ्रष्टाचार :** विदेशी अनुदान सरकारी अधिकारियों द्वारा निजी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसने कई गैर-निष्पादित गैर-सरकारी संगठनों को भी जन्म दिया है।
- **परियोजनाओं की पहचान :** अतीत में बहुत अधिक धन बर्बाद किया गया है क्योंकि सहायता प्रदान करने से पहले प्रस्तावों की पर्याप्त जाँच और परियोजनाओं की प्राथमिकताएँ सही ढंग से निर्धारित नहीं की गईं।
- **प्राप्तकर्ता देशों को प्रभावित करना :** सहायता प्रदाताओं पर अक्सर प्राप्तकर्ता सरकारों और उनके द्वारा तैयार की जाने वाली नीतियों पर अनावश्यक प्रभाव डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया जाता है।
- **कर्ज़ चुकाना :** वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में कई देश अपना कर्ज़ नहीं चुका पाए हैं।

भारत को विदेशी सहायता (Overseas Assistance for India)

- "विदेशी सहायता" शब्द "विदेशी विकास सहायता" (Overseas Development Assistance : ODA) की अवधारणा से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की भाषा में विदेशी विकास सहायता, विकासशील देशों को विकास सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देशों, ओ.ई.सी.डी. के सदस्यों द्वारा घोषित की गई प्रतिबद्धता है। वर्तमान में, विकसित देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 7% ओ.डी.ए. के रूप में विकासशील देशों को हस्तांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हालाँकि कुछ देशों ने ही इस लक्ष्य को हासिल किया है।
- वर्ष 2011 में भारत छठा सबसे बड़ा विदेशी सहायता प्राप्त करने वाला देश था और अब भी सबसे अधिक प्राप्तकर्ताओं में से एक है। विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में इसे 3.2 अरब डॉलर, वर्ष 2012 में 1.6 अरब डॉलर और वर्ष 2013 में 2.4 अरब डॉलर मिले, वहीं वर्ष 2019 में इसे 4.21 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।
- शीर्ष दाता रहे हैं- विश्व बैंक, जापान, जर्मनी, एशियाई विकास बैंक, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, ग्लोबल फंड (एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए), संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ।
- हालाँकि, हाल के दिनों में भारत में आने वाली विदेशी सहायता में इसकी तीव्र आर्थिक प्रगति और आंशिक रूप से लगातार बदलती भू-राजनीतिक धुरी के कारण गिरावट आई है।
- स्वच्छ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य की ओर लक्षित भारत को दी जाने वाली ऐसी सहायता हाल के वर्षों में 25% तक गिर गई है। यह वर्ष 2010 में लगभग 127 मिलियन डॉलर से वर्ष 2013 में लगभग 98.3 मिलियन डॉलर रह गई।

Copyright @ Sanskriti IAS

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से
सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

प्रत्येक माह नया बैच आरंभ

हाइब्रिड कोर्स
ऑफलाइन + ऑनलाइन

SPECIAL OFFER
9555 124 124

दिल्ली एवं प्रयागराज

इतिहास वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री अखिल मूर्ति

वैकल्पिक विषय
कार्यक्रम विशेषताएँ
- इतिहास और भूगोल में मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
- क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
- प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
- मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास

भूगोल वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री कुमार गौरव

GS EXTENSIVE COURSE Prelims + Mains
- लगभग 650 कक्षाओं का एक्स्टेंसिव स्टडी प्रोग्राम
- AI द्वारा समर्थित अध्यापन प्रविधि का प्रयोग
- प्रत्येक टॉपिक का बेसिक से एडवांस लेवल तक कवरेज

INDIVIDUAL MENTORING
- शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बनाने का प्रशिक्षण
- उत्तर लेखन में सुधार के लिए पर्सनल गाइडेंस
- स्टडी इम्प्रूवमेंट के लिए वन-टू-वन सेशन

PGP PRELIMS GUIDANCE Programme
- प्रत्येक टॉपिक के लिए महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स सिनॉप्सिस
- विगत 13 वर्षों के PYQs में पैटर्न के अनुरूप संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीज़न

PCS COURSES
UPPCS फाउंडेशन कोर्स
BPSC फाउंडेशन कोर्स
MPPCS फाउंडेशन कोर्स
RAS फाउंडेशन कोर्स
UP-RO/ARO

MMP MAINS MENTORSHIP Programme
- संस्कृति IAS की कोर फैकल्टी द्वारा Daily पर्सनल मेंटरिंग की सुविधा
- चारों प्रश्नपत्रों पर आधारित 70 टेस्ट का Intensive Test Programme

IGP INTERVIEW GUIDANCE Programme
- एक्सपर्ट के साथ वन-टू-वन सेशन
- DAF एनालिसिस एक्सपर्ट के साथ सीधा संवाद
- इंटरव्यू पैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू सेशन्स

CSAT COURSE
- गणित और रीज़निंग का बेसिक से एडवांस लेवल तक Step-by-Step अध्यापन
- कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों को सटीक और त्वरित ढंग से हल करने के लिए डायनमिक मेथडलॉजी

Mode of Courses
Hybrid Course — Offline Classroom & Online Live Stream
Offline Classroom
Online Live Stream — 3 साल तक Mobile App पर वीडियो लैक्चर देखने की सुविधा

NCERT COURSE
- प्रत्येक विषय की कक्षा 6 से 12 तक की NCERT पर कक्षानुसार लैक्चर
- NCERT पर आधारित प्रिलिम्स और मेन्स के प्रश्नों पर चर्चा

QAD PROGRAMME
- GS के सभी टॉपिक्स के विगत वर्षों के PYQs पर विस्तृत प्रश्नोत्तर चर्चा
- प्रिलिम्स परीक्षा में जटिल प्रश्नों को सुगमता से हल करने में सक्षम बनाना

CURRENT AFFAIRS Programme
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के समसामयिक घटनाक्रमों का विस्तृत कवरेज
- फैकल्टी द्वारा समसामयिक घटनाक्रमों का विषयवार डिस्कशन

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.

sanskritiias.com
Follows us: YouTube